

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण संख्या 22/2017 वाद

कुसुम शर्मा व अन्य

// बनाम //

मदनलाल शर्मा व अन्य

दावा धारा 53,88,188 रा0का0अधि0

निर्णय

दिनांक 11.12.2019

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण ने आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त वाद में कई प्रकार की कानूनी त्रुटियां रह गयी हैं। इसलिए उक्त त्रुटियों को सुधारने के लिए उक्त वाद को विद्वा करके दावा टेक्नीकल समस्या के कारण आगे नहीं चला कर इसी स्टेज पर विद्वा कराना चाहते हैं। वकील वादी का वाद विद्वा बाबत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वादीगण को आगे नया दावा पेश करने के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करते हुए वादीगण का उक्त वाद इसी स्टेज पर विद्वा कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।



(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

